

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 1068 के संबंध में जानकारी
श्री बहादुर सिंह चौहान मान. विधायक

प्रपत्र-अ

क्र.	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति आदेश क्रमांक एवं दिनांक	राशि करोड़ में	रुपांकित सिंचाई क्षमता हेक्टेयर में	रिमार्क
1	इंदौख बैराज	मध्य प्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्र0 एफ -22 /03/2017-18 / ल.सि /31/3269 भोपाल दिनांक 27.11.2017 द्वारा प्रदाय की गई है।	79.03	6100	प्रशासकीय स्वीकृति अंतर्गत बैराज का निर्माण कार्य ही सम्मिलित है। सिंचाई कार्य कृषकों द्वारा स्वयं के साधनों से किया जाता है।
2	सामाकोटा बैराज	मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक 22(A)349-103/2022/ MPS/31/532 भोपाल दिनांक 04.04.2022 द्वारा प्रदाय की गई है।	188.42	6000	योजना अंतर्गत बैराज एवं प्रेशराईज सिंचाई पद्धति का कार्य सम्मिलित है।
3	बनी (हरबाखेडी) मध्यम सिंचाई परियोजना	मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक 22(A)349-89/2020/ MPS/ 31/220 भोपाल दिनांक 12.02.2021 प्रदाय की गई है।	93.75	3050	योजना अंतर्गत बैराज एवं प्रेशराईज सिंचाई पद्धति का कार्य सम्मिलित है।
4	डूंगरिया सूक्ष्म सिंचाई परियोजना	प्रशासकीय स्वीकृति मध्यप्रदेश भासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक F22(A)349-109/ MPS/31/560 भोपालदिनांक 17.04.2023 द्वारा प्रदाय की गई है।	104.74	3000	निविदा स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
5	इंदौख बैराज प्रेशराईज प्रणाली	-	-	-	योजना राशि रु. 115.70 करोड़ एवं सिंचाई क्षमता 10500 हेक्टेयर का प्रस्ताव पृथक से तैयार किया जाकर कार्यालय मुख्य अभियंता बोधी भोपाल में परीक्षाधीन है।

[12/7/2023]

(कमल कुवाल)

कार्यपालन यंत्री

जल संसाधन संभाग उज्जैन

म.प्र. शासन, जल संसाधन विभाग